न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 514/ 2019

1 देवप्रकाश पुत्र जगदीशचन्द्र जाति जाट निवासी सरदारपूराजीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 स्नेहदीप पुत्र जगदीशचन्द्र जाति जाट निवासी सरदारपूराजीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 जगदीशचन्द्र पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी सरदारपूराजीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 विधा देवी पत्नी हनुमानराम जाति जाट निवासी सरदारपूराजीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री मनोहरलाल सहारण, इन्द्रजीत जलन्धरा अधिवक्ता वादीगण

2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 2

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 26.02.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 4 एस पी एम खाता संख्या 66/73 प.न .18/199 मु.न. 24 कि.न .16 ता 25 में 2.530 है. नहरी, प.न. 18/200 मु.न. 37 कि.न .1 ता 25 में 6.235 है. नहरी मय गे.मु. रास्ता, प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कागजात माल है। चक 4 एस पी एम खाता संख्या 14/12 मेंदर्ज 21.758 है. नहरी मय खाला राजस्व रिकॉर्ड मेंदर्ज है। जिसमें प्रतिवादीसंख्या 1 के नाम 1.961 है. आराजी दर्ज कागजात है। उपरोक्त समस्त रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है वह जददी जायदाद है जो प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुआ है , उपरोकत समस्त रकबा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त अविभाजित सम्पति है वादीगण व प्रतिवादीसंख्या 1ने आपस में प्रेम भाव कायम रखते हुये हक व हिस्सानूसार आज से करीबन4 वर्ष पूर्व घरेलू बंटवारा कर प्रत्येक पक्ष अपने हक हिस्सा पर काबिज है व बिना किसी विघ्न के अपने हक व हिस्सा के रकबा का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। मद संख्या 7 में घरू बंटवारा में प्राप्त रकबा को दर्शाया गया। वादीगणने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि घरेलू बंटवारा जो रकबा हमारे पक्ष में आया है उसकों राजस्व रिकॉर्ड में हमारे नाम से दर्ज करवाने के लिये आप सक्षम अदालत में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

सहमति केबयान कर दो ताकि घरू बंटवारानूसार प्रत्येक पक्ष के नाम रकबा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जावे। पहले तो वह आज कल आज कल करते रहे फिर आज से 10 रोज पूर्व वादीगण की बात मानने से स्पष्ट इंकार हो गये, बस यही बिनाये दावा है।

अतः वादवादीगण पेश कर निवेदन है कि वादीगण को वाद पत्र की मद संख्या 7 के अनूसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वादवादीगण में उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकीलप्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण एव प्रतिवादीगण एक परिवार के सदस्य है वादीगण प्रतिवादीसंख्या 1 के पुत्र है एव पुत्र होने के नाते सहदायिकी समपति में पारिवारिक बंटवारा के अनूसार अपने हक हिस्सा की घोषणा की मांग कर रहे है जो कि वादीगण के वाद पत्र के समर्थन में प्रतिवादीगण ने इकबाल दावा पेश कर वादीगण के तथ्यों को स्वीकार किया है एव पारिवारिक बंटवारा को स्वीकार कर वादीगण की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है। सहदायिकी सम्पति के सम्बध में वादीगण ने अपने दस्तावेज पेश किये है। इस प्रकार वादीगण ने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों, अभिकथनों, बहस एव इकबाल कथनो से बखुबी साबित किया है, वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक 4 एस पी एम खाता संख्या 66/73 प.न. 18/199 मु.न 24 कि.न .16 ता 25 में 2.530 है. नहरी, प.न. 18/200 मु.न. 37 कि.न. 1 ता 25 में 6.325 है. नहीर मय गै.मु. कुल 8.855 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 7.379 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/2/2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 514 / 2019

1 देवप्रकाश पुत्र जगदीशचन्द्र जाति जाट निवासी सरदारपूराजीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 स्नेहदीप पुत्र जगदीशचन्द्र जाति जाट निवासी सरदारपूराजीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 जगदीशचन्द्र पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी सरदारपूराजीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 विधा देवी पत्नी हनुमानराम जाति जाट निवासी सरदारपूराजीवन तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री मनोहरलाल सहारण, इन्द्रजीत जलन्धरा वकील वादीगण मिन जामिन मुद्दई श्री रजनीकान्त वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– चक 4 एस पी एम खाता संख्या 66 / 73 प.न. 18 / 199 मु.न 24 कि.न .16 ता 25 में 2.530 है. नहरी, प.न. 18 / 200 मु.न. 37 कि.न. 1 ता 25 में 6.325 है. नहीर मय गै.मु. कुल 8.855 है. नहरी मय गै.मु. आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 7.379 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26.2.2020 को जारी किया गया।

Examined 26.2.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.16 17:13:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: